न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2017

पीठासीन अधिकारीः–श्री साधुराम जाट, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः–114 / 16 वाद पत्र

उनवान

1–हीरा आत्मज छोगा दरोगा आयु वयस्क नि0 लडकी तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.) **वादी**

बनाम

1–मदन आत्मज छोगा दरोगा आयु वयस्क नि0 लडकी तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
2–प्रभु आत्मज प्रताप दरोगा आयु वयस्क नि0 लडकी तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
3–देवा आत्मज प्रताप दरोगा आयु वयस्क नि0 लडकी तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
4–भागु आत्मज पोखर दरोगा आयु वयस्क नि0 लडकी तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
5–गोपी आत्मज पोखर दरोगा आयु वयस्क नि0 लडकी तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
6–गिरधारी आत्मज पोखर दरोगा आयु वयस्क नि0 लडकी तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
7–प्यारा आत्मज पोखर दरोगा आयु वयस्क नि0 लडकी तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
8–बडोदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर तहसील रायपुर बजरिये शाखा प्रबन्धक
9–ग्राम सेवा सहकारी समिती लि0 पीथा का खेडा तहसील रायपुर बजरिये व्यवस्थापक
10–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा **प्रतिवादी**

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

उपस्थित **अधिवक्ता वादी**
1. फारूख मोहम्मद – दिनांक 25.05.2017

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प पीथा का खेडा में पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम लडकी पटवार हल्का पीथा का खेडा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत सात के पुर्वज प्रताप, नाथु, पोखर, छोगा आत्मज केशु दरोगा के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की साबिक आराजी सं0 372,373 रकबा 3 बीघा भूमि साबिक खाता संख्या 64 पर दर्ज रेकार्ड थी। प्रमाण मे नकल जमाबंदी संवत 2031 से 2034 तक साथ प्रस्तुत है। वाद पत्र की कलम नम्बर एक मे अंकित साबिक आराजिया मे वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत सात के पुर्वज प्रताप का 1/4 हिस्सा, नाथु का 1/4 हिस्सा, पोखर का 1/4 हिस्सा व छोगा का 1/4 हिस्सा निहीत था। लेकिन आगामी रोटेशन जमाबंदी संवत 2047 से 2050 मे राजस्व अधिकारियो एवं कर्मचारियो ने बिना किसी विधिक आदेश के वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत सात के निहित हिस्से को गलत रूप से दर्ज करते हुए प्रभु देवा पिता प्रताप, मु0 मगनी बेवा प्रताप, हीरा, मदन पिता छोगा, नाथु पिता केशु 1/2 हिस्सा व मांगु, गोपी, गिरधारी, प्यारा पिता पोखर का 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया गया है। जब कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या दो व तीन का 1/4 हिस्सा व 1/4 हिस्सा मृतक खातेदार नाथु पिता केशु का एवं शेष 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या चार लगायत सात का दर्ज करना चाहिये था। जिससे राजस्व रेकार्ड मे उक्तानुसार इन्द्राज दुरूस्ती की घोषणात्मक डिक्री जारी फरमाया जाना आवश्यक हो गया है। ग्राम लडकी तहसील रायपुर का नवीन भु प्रबन्ध हुआ, जिसमे साबिक आराजी संख्या 372 , 373 रकबा 3 बिघा के नवीन नम्बर – 469 रकबा 0.07 हे0 470 रकबा 0.08 हे0, 471 रकबा 0.21 हे0, 472 रकबा 0.13 हे0, 474 रकबा 0.07 हे0, 475 रकबा 0.09 हे0 कुल किता 6 कुल रकबा 0.65 हे0 नवीन राजस्व खाता संख्या 107 पर कायम किये गये हैं। प्रमाण मे नकल जमाबंदी संवत 2069 से 2072 तक एवं मिलान क्षेत्रफल साथ प्रस्तुत है। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत सात अपने अपने

हिस्सेनुसार साबिक रेकार्ड के अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी को जमाबंदी की नकल की आवश्यकता होने से वह दिंनाक 19.10.2016 को पटवारी हल्का पीथा का खेडा के पास गया व उनसे जमाबंदी की नकल प्राप्त की तो जानकारी हुई कि साबिक राजस्व रेकार्ड के अनुरूप नवीन राजस्व रेकार्ड मे हिस्से दर्ज नही किये गये है, जिस पर वादी ने आर्वश्यक राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त की व प्रतिवादीगण को राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरूस्ती कराने हेतु कहा लेकिन प्रतिवादीगण इन्कार हो गये, जिससे वादी को वाद हेतु विवश होना पडा है। बिनाय वाद वक्त सेटलमेन्ट व जानकारी होने की दिनांक 19.10.216 से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है और यह वाद पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 सहखातेदार होने व उनके द्वारा इन्द्राज दुरस्ती कराने से इंकार कर देने व प्रतिवादी संख्या 8 के रहन का इन्द्राज प्रतिवादी संख्या 2 के हिस्से पर लगा होने से तथा प्रतिवादी संख्या 9 के रहन का इन्द्राज प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से पर लगा होने से तथा प्रतिवादी संख्या 10 लैण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाये गये है।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 07.12.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे प्रतिवादी संख्या 1 से 9 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 10 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल फाईल किया गया। प्रस्तुत जवाब मे वादी एवं प्रतिवादीगणो के हिस्से दर्ज किया जाना उचित बताया है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा एक तरफा बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया। ग्राम लडकी की आराजी नम्बर 469 रकबा 0.07 हे0 470 रकबा 0.08 हे0, 471 रकबा 0.21 हे0, 472 रकबा 0.13 हे0, 474 रकबा 0.07 हे0, 475 रकबा 0.09 हे0 कुल किता 6 कुल रकबा 0.65 हे0 नवीन राजस्व खाता संख्या 107 मे अंकित है मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा मृतक खातेदार नाथू आत्मज केशु का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा निहित है जिसका राजस्व रेकार्ड इन्द्राज दुरस्ती किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ। अतः

आदेश

ग्राम लड़की की आराजी नम्बर 469 रकबा 0.07 हे0 470 रकबा 0.08 हे0, 471 रकबा 0.21 हे0, 472 रकबा 0.13 हे0, 474 रकबा 0.07 हे0, 475 रकबा 0.09 हे0 कुल किता 6 कुल रकबा 0.65 हे0 नवीन राजस्व खाता संख्या 107 मे अंकित है मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा मृतक खातेदार नाथू आत्मज केशु का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा निहित है जिसका राजस्व रेकार्ड इन्द्राज दुरस्ती किया जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर को दिया जाता है। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी हो।

साधुराम जाट
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 25.05.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारीः–श्री साधुराम जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–114 / 16 वाद पत्र

उनवान

1–हीरा आत्मज छोगा दरोगा आयु वयस्क नि0 लडकी तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.) **वादी**

बनाम

1–मदन आत्मज छोगा दरोगा आयु वयस्क नि0 लडकी तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
2–प्रभु आत्मज प्रताप दरोगा आयु वयस्क नि0 लडकी तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
3–देवा आत्मज प्रताप दरोगा आयु वयस्क नि0 लडकी तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
4–भागु आत्मज पोखर दरोगा आयु वयस्क नि0 लडकी तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
5–गोपी आत्मज पोखर दरोगा आयु वयस्क नि0 लडकी तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
6–गिरधारी आत्मज पोखर दरोगा आयु वयस्क नि0 लडकी तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
7–प्यारा आत्मज पोखर दरोगा आयु वयस्क नि0 लडकी तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
8–बडोदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर तहसील रायपुर बजरियें शाखा प्रबन्धक
9–ग्राम सेवा सहकारी समिती लि0 पीथा का खेडा तहसील रायपुर बजरिये व्यवस्थापक
10–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वाद वादीया द्वारा ग्राम लड़की की आराजी नम्बर 469 रकबा 0.07 हे0 470 रकबा 0.08 हे0, 471 रकबा 0.21 हे0, 472 रकबा 0.13 हे0, 474 रकबा 0.07 हे0, 475 रकबा 0.09 हे0 कुल किता 6 कुल रकबा 0.65 हे0 नवीन राजस्व खाता संख्या 107 मे अंकित है मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा मृतक खातेदार नाथू आत्मज केशु का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा निहित है जिसका राजस्व रेकार्ड इन्द्राज दुरस्ती किया जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर को दिया जाता है। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी हो।

साधुराम जाट
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

यह आज तारीख 25.05.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा
25/5/17